**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 21**

**22.11.2011 को उत्तर के लिए**

**'विदेशों से ई-अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध'**

**21. डॉ. जनार्दन वाघमरे :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्रीयहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से उपयोग किए गए कम्प्यूटरों और अन्य इलैक्ट्रॉाäनक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कितना ई-अपशिष्ट निकलता है और प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में ई-अपशिष्ट का पुन:चक्रण किया जाता है; और

(घ) खतरनाक अपशिष्ट के पुन:चक्रण और निपटान को नियंत्रित करने की यदि कोई योजना है तो उसका ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट सहित खतरनाक अपशिष्टों के उचित ढंग से प्रबंधन और हथालन के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008, अधिसूचित किए हैं । इन नियमों के अनुसार देश में ऐसे अपशिष्टों का आयात निपटान हेतु अनुमत नहीं है। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति से केवल इसका पुन:चक्रण या रिकवरी अथवा पुन: प्रयोग अनुमत है ।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, यह अनुमान है कि वर्ष 2005 में देश में 1.47 लाख मीट्रिक टन (एमटी) ई-अपशिष्ट निकला था । वर्ष 2012 तक इसमें लगभग 8.0 लाख मीट्रिक टन वृद्धि होने का अनुमान है। 47 ई-अपशिष्ट पुन:चक्रण इकाईयां है जिनकी प्रति वर्ष कुल पुन:चक्रण क्षमता 2,18,236 मीट्रिक टन है ।

(घ) इन नियमों के अनुसार उत्पन्न खतरनाक अपशिष्टों को पर्यावरणीय रूप से उचित सुविधाएं रखने वाले पंजीकृत अथवा प्राधिकृत पुन:चक्रण या री-प्रोसेसर को ही भेजा या बेचा जाना आवश्यक है । खतरनाक अपशिष्टों का पुन:चक्रण केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्राधिकृत/के साथ पंजीकृत संयंत्रों से ही किया जा सकता है । मंत्रालय, खतरनाक अपशिष्टों के लिए उपचार, निपटान और भंडारण संयंत्र स्थापित करने तथा सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी तर्ज पर ई-अपशिष्ट के लिए एकीकृत पुन:चक्रण संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है ।

\*\*\*\*\*\*